

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0025**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

10/07/2025 12:36 hrs

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	193
3	IPC 1860	196
4	IPC 1860	199
5	IPC 1860	200
6	IPC 1860	406
7	IPC 1860	409
8	IPC 1860	418
9	IPC 1860	420
10	IPC 1860	467
11	IPC 1860	468
12	IPC 1860	471
13	IPC 1860	474
14	IPC 1860	477-A
15	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
16	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
17	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

01/01/2010

Date To (दिनांक तक):

01/01/2018

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 00:00
hrs**Time To (समय तक):**

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):****Date (दिनांक):** 10/07/2025**Time (समय):** 10:34
hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):**
009

Date and Time

(दिनांक और समय):

10/07/2025 10:34
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 95 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सिरसा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): VIJENDER SINGH

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 04/07/1974 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VPO KARNOLI, VPO KARNOLI, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	VPO KARNOLI, VPO KARNOLI, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416241889

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अशोक कुमार		Father's Name: नागर मल	1. रानियां गेट, रविदास मंदिर वाली, गली सिरसा, SIRSA, HARYANA, INDIA
2	पदम बंसल		Father's Name: बंसीधर	1. नजदीक सिविल हस्पताल सिरसा, SIRSA, HARYANA, INDIA
3	अमीत बंसल		Father's Name: पदम बंसल	1. नजदीक सिविल हस्पताल सिरसा, SIRSA, HARYANA, INDIA
4	कंवर सिंह		Father's Name: मामचन्द	1. ढाणी ठोबा, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
5	संत स्वरूप			1. तत्कालीन कर निरीक्षक वाई, नं 5, कार्यालय डी ई टी सी, सिरसा, SIRSA, HARYANA, INDIA
6	गोपीचन्द चौधरी		Father's Name: मोलड राम	1. मकान नं 647, सैक्टर 14, रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
7	रामकृष्ण		Father's Name: रामस्वरूप	1. सैक्टर 9 फरीदाबाद, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
8	नरेन्द्र कुमार		Father's Name: केदार नाथ	1. अर्बन स्टेट सैक्टर 14 करनाल, KARNAL, HARYANA, INDIA
9	अशोक कुमार		Father's Name: हरगोबिन्द	1. सैक्टर 19, हुड्डा कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
हिसार मण्डल हिसार ।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक 02 दिनांक 19.07.2018 सिरसा शिव साहनी, निवासी 279/34 पालबीचला, बाजार अजमेर-305001 की शिकायत के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 33/21/2018-3 चौकसी-1(201800437) दिनांक 16.07.2018 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पृष्ठांकन क्रमांक 10296/1-3/SVB(H) दिनांक 20.07.2018 के अनुसार दर्ज रजिस्ट्रार होकर विरुद्ध 1. पदम बंसल वासी 12-एफ ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा, 2. अमित बंसल पुत्र पदम बंसल वासी 12-एफ ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा, 3. विशाल पुत्र सतनाम सिंह वासी सोनु स्टेरिंग स्टोर के पास चतरगढ पट्टी सिरसा, 4. धर्मपाल बेनीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री पोहहर सिंह मकान नंबर 100 पुलिस लाईन एरिया नियर कैमरी रोड हिसार तत्कालीन आबकारी एवं कराधान अधिकारी सिरसा। 5. हनुमान सिंह पुत्र श्री बालूराम गांव डाकपर सीसवाल ढाणी तहसील आदमपुर जिला हिसार तत्कालीन कर निरीक्षक, कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा, 6. संत स्वरूप टैक्सेशन इंस्पेक्टर ऑफिस ऑफ डी.ई.टी.सी. सेल टैक्स पंचकूला तत्कालीन कर निरीक्षक वार्ड नंबर 5 कार्यालय डी.ई.टी.सी.सिरसा इस मण्डल में पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें मुख्य आरोप था कि सिरसा जिले में पिछले कुछ वर्षों से बोगस फर्म बनाकर बिल बनाकर काटने, रिफण्ड लेने, खजाने से पैसा लेकर ईन्कवारी आते ही विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्म को बन्द दिखाने या मालिक को मरा दिखाने की कार्यवाही की जाने बारे व वर्ष 2010 से 2015 तक 27 फर्मों को जो 21-54 करोड का रिफण्ड दिया गया था विभाग द्वारा उसकी रिकवरी न करने बारे । इसके बावजूद वर्ष 2017-18 में जो रिफण्ड दिये है। मैसर्स विशाल कार्पोरेशन, सिरसा टिन नम्बर 06252919275 की जांच पहले पूर्ण की जाकर उनके अभियोग संख्या 12 दिनांक 29.06.2022 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. करवाया गया है ।

आरोप से सम्बन्धित मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स सिरसा से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त करके जांच की गई जांच के दौरान पाया गया कि फर्म मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स सिरसा के मालिक अशोक कुमार पुत्र नागरमल मकान 1191 वार्ड न0 23 गली रविदास मंदिर रानियां गेट सिरसा के नाम से फर्म पंजीकरण हेतु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल टैक्स सिरसा के पास आवेदन किया जाने पर आबकारी विभाग दिनांक 11.01.2012 को लाईबिल्टी पंजीकरण व दिनांक 21.12.2011 से पंजीकरण किया जाना पाया गया है । जिसमें फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स सिरसा के प्रार्थना पत्र पर श्री कवर सिंह तत्कालीन कर निरीक्षक आबकारी एवं कराधान सिरसा द्वारा फर्म के कार्यालय का नक्शा तैयार करके फर्म मालिक के कथन अंकित किये व स्योरिटी से सम्बन्धित मालिको के स्योरिटी बॉन्ड को भी वेरिफाई किया जाकर अपनी रिपोर्ट तत्कालीन ई.टी.ओ. श्री डी.पी. बैनिवाल को प्रस्तुत किये जाने पर श्री डी.पी. बैनिवाल द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा तत्कालीन ई.टी.ओ. अशोक कुमार द्वारा फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स का प्रोविजन रिफण्ड आर्डर वर्ष 2012-13 का 9,71,765 रुपये तैयार करके अप्रुवल हेतु डी.ई.टी.सी. के पास भेजा गया ।

जांच के दौरान फर्म मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स सिरसा द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान किये गये व्यापार से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया जिसमें वर्ष 2011-12 के दौरान फर्म रजत ट्रेडर्स सिरसा व श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी सिरसा से 91,67,978/-रुपये का 13.25 प्रतिशत वेट (कर) पर माल खरीदकर फर्म मैसर्स श्री श्याम ईन्ट्रप्राइजिज हनुमानगढ व श्री गणेश ईन्ट्रप्राइजिज नोहर को माल बेचना दिखाकर 9,99,171/-रुपये का रिफण्ड प्राप्त किया जाना पाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स द्वारा फर्म रजत ट्रेडर्स सिरसा, गंगा राम ट्रेडर्स , हजारी लाल श्याम सुंदर व तिरूपति ट्रेडर्स सिरसा से 26,14,71,808/-रुपये का 13.25 व 5.25 प्रतिशत वेट का माल खरीदकर फर्म मैसर्स अशोका ट्रेडर्स नोहर, जय भवानी ट्रेडिंग कम्पनी नोहर को 1,80,99,190/-रुपये का माल बेचना

दिखाकर 9,95,573/-रुपये व 9,71,765/-रुपये कुल 19,67,338/-रुपये का सरकार से रिफण्ड लिया जाना पाया गया है। यह रिफण्ड अशोक सुखीजा तत्कालीन ई.टी.ओ. व नरेन्द्र कुमार रंगा तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा द्वारा दिया जाना पाया गया है तथा दिनांक 14.10.2015 को श्री नीरज गर्ग तत्कालीन ई.टी.ओ. स्क्रुटिनी असेसमेंट के दौरान सी.फार्म का सत्यापन न होने पर नल एण्ड वाईड पाये जाने पर 1,56,52,289/-रुपये की रिकवरी निकाली गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान उपरोक्त फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स के माध्यम से 113,50,69,813 का व्यापार करके 18,36,05,574/-रुपये की इन्टरस्टेट सेल दिखाकर रिफण्ड प्राप्त करने के लिये आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा में रिटर्न भरी गई थी जिसकी स्क्रुटिनी असेसमेंट दिनांक 03.12.2015 को श्री अश्वनी सोनी तत्कालीन ई.टी.ओ. द्वारा इन्टरस्टेट सेल से सम्बन्धित सी.फार्म पेश करने बारे फर्म को नोटिस जारी किया गया। लेकिन फर्म द्वारा सी0फार्म प्रस्तुत न करने पर 3,48,85,059/-रुपये की रिकवरी के आदेश पारित किये जाकर रिकवरी के लिये नोटिस जारी किया गया। लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई है और ना ही कोई आगामी कार्यवाही हुई है।

अतः फर्म मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स के मालिक अशोक कुमार पुत्र नागरमल मकान 1191 वाईड न0 23 गली रविदास मंदिर रानियां गेट सिरसा, कवर सिंह तत्कालीन कर निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा, डी.पी. बैनिवाल तत्कालीन ई.टी.ओ., पदम बंसल, अमित कुमार बंसल व नरेन्द्र कुमार रंगा तत्कालीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा, गोपी चन्द चौधरी तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा तथा आर.के. केसवानिया तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा उपरोक्त ने मिलिभगत करके उक्त फर्म मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स बोगस तैयार करके वर्ष 2011-12 व 2012-13 के दौरान फर्जी व्यापार दिखाकर सरकार को 29,66,509/-रुपये का रिफण्ड प्राप्त करके व वर्ष 2012-13 व 2013-14 स्क्रुटिनी असेसमेंट के दौरान फर्जी व्यापार पाये जाने पर 5,05,37,348/-रुपये की रिकवरी सरकार के खाते में न भरकर सरकार को नुकसान पहुंचाया है तथा गोपीचन्द चौधरी तत्कालीन डी0ई0टी0सी0 सिरसा द्वारा फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स को प्रोविजन असेसमेंट रिफण्ड आर्डर को अप्रुव करके सरकार को नुकसान पहुंचाया है। डी.पी. बैनिवाल तत्कालीन ई.टी.ओ. की दिनांक 23.08.2020 में मृत्यु हो चुकी है। अतः फर्म मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स के मालिक अशोक कुमार पुत्र नागरमल मकान 1191 वाईड न0 23 गली रविदास मंदिर रानियां गेट सिरसा, श्री कवर सिंह तत्कालीन कर निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा, पदम बंसल वासी 12 एफ0 ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा, अमित बंसल पुत्र पदम बंसल वासी 12 एफ0 ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा तथा अशोक कुमार पुत्र श्री हरगोबिन्द वासी मकान न0 288 पार्ट 01 ऐ0 19 हुड्डा कैथल तत्कालीन ई.टी.ओ., संतस्वरूप कर निरीक्षक कार्यालय आबकारी एवं कराधान अधिकारी सिरसा, गोपी चन्द चौधरी (जी.सी.चौधरी) तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा व आर.के. केसवानिया तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा उपरोक्त ने सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाकर धारा 193, 196, 199, 200, 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 474, 477A, 120 बी भा.द.स. 13(1)(सी), 13(1)(डी)r/w13(2)पी.सी. एक्ट का अपराध किया है। अतः उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करके अनुसंधान करने की सिफारिश की गई।

कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग चौकसी के पत्र क्रमांक 33/21/20219-4 चौ(1) दिनांक 20.06.2025 व कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृ. क्रमांक 12201/1-3/भ्र.नि. ब्यूरो (ह.) दिनांक 27.06.2025 के अनुसार 1. अशोक कुमार पुत्र नागर मल वासी म0 नं0 1192 वाईड नं0 23 रानियां गेट रविदास मंदिर वाली गली सिरसा प्रोपराईटर फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स, 2. पदम बंसल पुत्र बंसीधर वासी 12 एफ0 ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा, 3. अमित बंसल पुत्र पदम बंसल वासी 12 एफ0 ब्लॉक नजदीक सिविल अस्पताल सिरसा, 4. कंवर सिंह पुत्र मामचन्द वासी ढाणी ठोबा जिला फतेहाबाद सेवानिवृत्त तत्कालीन कर निरीक्षक सिरसा, 5. संत स्वरूप टैक्सेशन इंस्पेक्टर ऑफिस ऑफ डी.ई.टी.सी सेल टैक्स पंचकुला तत्कालीन कर निरीक्षक वाईड नंबर 5 कार्यालय डी.ई.टी.सी. सिरसा, 6. गोपीचन्द चौधरी पुत्र श्री मोलडराम हाल निवासी म0नं0 647 सै0 14 रोहतक तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा, 7. राम कृष्ण (आर.के.) केसवानिया पुत्र श्री रामस्वरूप वासी म0नं0 174 सै0 09 फरीदाबाद तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, 8. नरेन्द्र कुमार पुत्र केदार नाथ निवासी अर्बन स्टेट सै0 14 करनाल तत्कालीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा, 9. अशोक कुमार पुत्र श्री हरगोबिन्द वासी म0नं0 288 पार्ट 1 सै0 19 हुड्डा कैथल तत्कालीन आबकारी एवं कराधान अधिकारी सिरसा के विरुद्ध धाराधीन 193, 196, 199, 200, 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 474, 477A, 120बी भा.द.स. 13(1)(सी), 13(1)(डी)r/w13(2) पी0सी0एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने बंदस्त महिला स0उप0नि0 सुनीता देवी

1252/सिरसा के हाथ असल तहरीर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार मंडल हिसार भेजी जा रही है। प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक/ई0मेल ईलाका मजिस्ट्रेट सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा व अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे ।

अज:- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र सिरसा।

SD Vijender Singh

निरीक्षक विजेन्द्र सिंह,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ह0)

उपकेन्द्र सिरसा।

Dt. 10.07.2025

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मु.न. 25 दिनांक 10.07.2025 जेर धारा 193, 196, 199, 200, 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 474, 477A, 120बी भा.द.स 13(1)(सी), 13(1)(डी)r/w13(2) पी0सी0एक्ट PS ACB Hisar दर्ज रजि. किया जाकर प्र.सु.रि. मय असल तहरीर मय रिकार्ड आगामी तफ्तीश हेतु महिला स0उप0नि0 सुनीता देवी 1252/सिरसा के श्री अमित बैनिवाल उप पुलिस अधीक्षक उप केन्द्र सिरसा भेजी जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Amit Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): H109 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

No. (सं.): 303SPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

